

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं0सं0-9 / आ0-01-20 / 2023(स्वा0) / पटना, दिनांक:—.....

डॉ० सर्वोत्तम कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कुमैठा, सुल्तानगंज, भागलपुर द्वारा आवेदन समर्पित कर अवगत कराया गया कि विभागीय अधिसूचना सं0-1190(2) दिनांक-02.09.2021 के अनुपालन में निर्धारित कर्तव्य पर दिनांक-07.09.2021 से 20.11.2022 तक कार्य किया गया। वे अपनी अस्वस्थता के कारण से दिनांक-21.11.2022 से कर्तव्य स्थल पर अनुपस्थित रहे। उनके द्वारा स्वस्थ होने के उपरान्त दिनांक-07.01.2025 को अभ्यादेवन समर्पित करते हुए पदस्थापित स्थल पर योगदान करने का अनुरोध किया गया।

2. डॉ० सर्वोत्तम कुमार द्वारा पदस्थापित स्थान पर योगदान करने हेतु किये गये अनुरोध के समीक्षोपरांत डॉ० सर्वोत्तम कुमार का योगदान स्वीकार करते हुए उनसे कार्य लिये जाने का निर्णय लिया गया है।

3. सिविल सर्जन, भागलपुर को निदेशित किया जाता है कि डॉ० सर्वोत्तम कुमार को आदेश निर्गत की तिथि से योगदान स्वीकार करते हुए उन्हें पूर्व पदस्थापित स्थान का प्रभार ग्रहण कराया जाय। डॉ० सर्वोत्तम कुमार का योगदान करने की सूचना से अविलंब विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

4. डॉ० सर्वोत्तम कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कुमैठा, सुल्तानगंज, भागलपुर के विरुद्ध अनधिकृत अनुपस्थिति के आरोप में विहित प्रपत्र से आरोप-पत्र गठित कर उपलब्ध कराया जाय।

5. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(उपेन्द्र राम)

सरकार के अवर सचिव।-

ज्ञापांक-9 / आ0-01-20 / 2023(स्वा0) 53(9) / पटना, दिनांक:— 14.01.25

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, (ले० एवं हक०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, भागलपुर प्रमण्डल, भागलपुर/सिविल सर्जन, भागलपुर को निदेशित किया जाता है कि डॉ० सर्वोत्तम कुमार के कर्तव्य पर योगदान करने से संबंधित प्रतिवेदन के साथ विहित प्रपत्र में आरोप-पत्र विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि-डॉ० सर्वोत्तम कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कुमैठा, सुल्तानगंज, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ बिहार पटना/अपर सचिव, स्वास्थ्य विभाग/प्रभारी प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-2, 3, 7, 8, 17 एवं 18A स्थापना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि-आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सं0
14.01.25
सरकार के अवर सचिव।
गोप्य